



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102024-258261
CG-DL-E-26102024-258261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4292]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2024/कार्तिक 3, 1946

No. 4292]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2024/KARTIKA 3, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4668(अ).— केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम) 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4231(अ) तारीख 07 सितम्बर 2022, जो भारत के राजपत्र सं. 4050, भाग।। खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 09 सितम्बर, 2022 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का. आ. 2709(अ) तारीख 20 जून, 2023, जो भारत के राजपत्र सं. 2595, भाग।। खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 20 जून, 2023 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड को कच्चे तेल के परिवहन के लिए, न्यू मुंद्रा-पानीपत पाइपलाइन परियोजना के तहत, चुडवा गांव से पानीपत तक पाइपलाइन को तहसील- धोद एवं लक्ष्मणगढ़ जिला-सीकर, तहसील-झुंझुनू, मण्डावा, नवलगढ़ एवं सूरजगढ़, जिला-झुंझुनू और तहसील- डीडवाना एवं छोटी खाटू, जिला-डीडवाना-कुचामन राज्य- राजस्थान में विद्यमान के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
तहसील - धोद		जिला - सीकर	राज्य - राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	संपादित क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6

1.	तनाजा की ढाणी	195	00	21	02
		194	00	01	19
2.	शाहपुरा	685	00	19	91
		703	00	06	61
3.	भवानीपुरा	32	00	00	97

अनुसूची					
तहसील - लक्ष्मणगढ़		जिला - सीकर	राज्य - राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	संपादित क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6

1.	नारायणकावास	217	00	00	34
		196	00	11	20
2.	प्रतापपुरा	14	00	07	52
3.	सांखू	511/425	00	01	97

अनुसूची					
तहसील - झुंझुनू		जिला - झुंझुनू	राज्य - राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	संपादित क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1.	कासिमपुरा	902/107	00	00	21
		105	00	03	26
		104	00	00	30
		96	00	00	10
		94	00	07	01
		87	00	03	12

अनुसूची					
तहसील - मण्डावा		जिला - झुंझुनू	राज्य - राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	संपादित क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1.	लाडसर	1	00	00	40
2.	लुमास	63	00	00	81
3.	भोजासर	231/778	00	07	58
4.	बहादुरवास	466	00	11	61

अनुसूची					
तहसील - नवलगढ़		जिला - झुंझुनू	राज्य - राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	संपादित क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1.	मुकुंदगढ़	908/141	00	01	35
2.	जांटवाली	70	00	00	95
		61	00	01	30

अनुसूची					
तहसील –सूरजगढ़		जिला – झुंझुनू	राज्य –राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	संपादित क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1.	पिपली	899/173	00	05	40
2.	लाडुन्दा	158	00	01	27
		179	00	01	62

अनुसूची					
तहसील –डीडवाना		जिला – डीडवाना-कुचामन (अधिसूचना दिनांक 05.08.2023)	राज्य –राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	संपादित क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1.	खोजास	23	00	00	10
2.	मावा	235	00	41	72
		117	00	14	85
		105	00	00	98
		976/106	00	20	60
		33	00	33	59
		58	00	18	92
		54	00	41	36

अनुसूची					
तहसील –छोटी खाटू (अधिसूचना दिनांक 11.07.2023)		जिला – डीडवाना-कुचामन (अधिसूचना दिनांक 05.08.2023)	राज्य –राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	संपादित क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1.	बाजियां की ढाणी	172/3	00	07	81

[फा. सं. आर-11029/33/2022-ओआर-1/ई-42962]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2024

S.O. 4668(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 4050 on 9th September 2022, Part-II, Section 3, Sub Section (ii) vide S.O. 4231 (E) dated 7th September 2022 and Gazette of India No. 2595, Part-II, Section -3, Sub-Section (ii) dated 20th June 2023 vide S.O. No. 2709 (E) dated 20th June, 2023, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the Purpose of laying of Pipeline from Chudva to Panipat under New Mundra - Panipat Pipeline Project by Indian Oil Corporation Limited in **Tehsil- Dhod, Lakshmangarh of District Sikar, Tehsil - Jhunjhunu, Mandawa, Nawalgarh, Surajgarh of District Jhunjhunu and Tehsil- Didwana, Choti Khatu of District Didwana-Kuchaman in the State of Rajasthan**, for transportation of Crude oil.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public. And whereas, under sub-section (1) of section 6 of the said Act the Competent Authority has submitted report to the Central Government.

And whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said Land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said Land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
Tehsil- Dhod		District- Sikar	State- Rajasthan		
SI. No.	Name of the Village	Khasra No.	Area to be acquired		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
1.	TANAJI KI DHANI	195	00	21	02
		194	00	01	19
2.	SHAHPURA	685	00	19	91
		703	00	06	61
3.	BHAWANIPURA	32	00	00	97

SCHEDULE					
Tehsil- Lakshmangarh		District- Sikar	State- Rajasthan		
SI. No.	Name of the Village	Khasra No.	Area to be acquired		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
1.	NARAYAN KA BAS	217	00	00	34
		196	00	11	20
2.	PRATAPPURA	14	00	07	52
3.	SANKHU	511/425	00	01	97

SCHEDULE					
Tehsil- Jhunjhunu		District- Jhunjhunu	State- Rajasthan		
SI. No.	Name of the Village	Khasra No.	Area to be acquired		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
1.	KASIMPURA	902/107	00	00	21
		105	00	03	26
		104	00	00	30
		96	00	00	10
		94	00	07	01
		87	00	03	12

SCHEDULE					
Tehsil- Mandawa		District- Jhunjhunu	State- Rajasthan		
SI. No.	Name of the Village	Khasra No.	Area to be acquired		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
1.	LADSAR	1	00	00	40
2.	LUMAS	63	00	00	81
3.	BHOJASAR	231/778	00	07	58
4.	BAHADURWAS	466	00	11	61

SCHEDULE					
Tehsil- Nawalgarh		District- Jhunjhunu	State- Rajasthan		
SI. No.	Name of the Village	Khasra No.	Area to be acquired		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
1.	MUKUNDGARH	908/141	00	01	35
2.	JANTWALI	70	00	00	95
		61	00	01	30

SCHEDULE					
Tehsil- Surajgarh		District- Jhunjhunu	State- Rajasthan		
SI. No.	Name of the Village	Khasra No.	Area to be acquired		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
1.	PEEPLI	899/173	00	05	40
2.	LADUNDA	158	00	01	27
		179	00	01	62

SCHEDULE					
Tehsil- Didwana		District- Didwana- Kuchaman (Govt. Notification Dated 05.08.2023)	State- Rajasthan		
SI. No.	Name of the Village	Khasra No.	Area to be acquired		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
1.	KHOJAS	23	00	00	10
2.	MAWA	235	00	41	72
		117	00	14	85
		105	00	00	98
		976/106	00	20	60
		33	00	33	59

58	00	18	92
54	00	41	36

SCHEDULE					
Tehsil- Choti Khatu (Govt. Notification Dated 05.08.2023)		District- Didwana- Kuchaman (Govt. Notification Dated 05.08.2023)		State- Rajasthan	
Sl. No.	Name of the Village	Khasra No.	Area to be acquired		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
1.	BAJIYON KI DHANI	172/3	00	07	81

[F. No. R- 11029/33/2022-OR-I/E-42962]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.